आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

13.11.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0 – 24/2014–15

1. मो0 तमीज उद्दीन, पिता–अब्दुल रसीद मियाँ
2. अब्दुल रसीद, पिता–स्व0 सुधि मंडल
3. मजलुम मियाँ, पिता–इद्रीश मियाँ

सभी सा0–बसैठी, थाना–बौसी बसैठी, अंचल–रानीगंज, जिला–अररिया --पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

1. मो0 मोफील व मुमताज मियाँ व शरीफ मियाँ, सभी पिता–जब्बार मियाँ, सा0–बसैठी, थाना–बौसी बसैठी, अंचल–रानीगंज, जिला–अररिया
2. हारूण मियाँ व फारूख मियाँ, पिता–रसूल, सा0–बसैठी, थाना–बौसी बसैठी, अंचल–रानीगंज, जिला–अररिया

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदकगणों की ओर से नामान्तरण अपील वाद सं0 178/2013–14 / 90/2013–14 (मो0 मोफील एवं अन्य बनाम तमीजउद्दीन एवं अन्य) में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.11.2014 के विरूद्ध समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 28.11.2014 को दाखिल किया गया। समाहर्त्ता, अररिया द्वारा इसे दिनांक 20.3.2015 को विचारार्थ स्वीकृत किया गया तथा इसे दिनांक 21.8.2015 को विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया। प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 1320/वि0, दिनांक 11.9.2015 द्वारा हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	कायमी खाता सं0	खाता	खेसरा	रकवा
बसैठी	763	327	912	0.10 ए0
		332	911	0.06 ए0
			909	0.03 ए0
			909	0.06 ए0
				कुल 0.25 ए0

विपक्षी को समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय से ही सूचना निर्गत की गई। सूचनोपरांत विपक्षी अधिवक्ता शक्ति पत्र के साथ न्यायालय में हाजिर हुए और अपना प्रतिउत्तर और लिखित बहस दोनों दाखिल किया गया। तत्पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ

अधिवक्ता को सुना गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वादग्रस्त भूमि का कायमी खतियान खाता 763 वैद्यनाथ चौधरी के नाम दर्ज है। खतियानी रैयत की मृत्युपरांत उनके एक मात्र पुत्र पुष्पम चौधरी उनके वैद्य उत्तराधिकारी हुए। जिससे पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा निबंधित दस्तावेज सं0 7355, दिनांक 13.8.2011 द्वारा वादग्रस्त खेसरा सं0 908, 909, 911 एवं 912, रकवा क्रमशः 6 डी0, 2 डी0, 6 डी0 एवं 4 डी0, कुल 18 डी0 भूमि क्रय कर दखलकार हुए। जिसका अंचल कार्यालय, रानीगंज से नामान्तरण वाद सं0 2392/3852 / 2011–12 द्वारा दाखिल–खारिज कराकर लगान रसीद प्राप्त किया गया।

इनका यह भी कहना है कि वादग्रस्त भूमि का सिकमी खतियान खाता सं0 327, खेसरा सं0 912, रकवा 10 डी0 मकानमय सहन मो0 झुलफुल, पति–राजबली के नाम बना। मो0 झुलफुल के मृत्युपरांत उनका पुत्र सुद्दी मियाँ दखलकार हुए। सुद्दी मियाँ भी अपने पिछे पुत्र अब्दुल रसीद को छोड़कर मृत हुए। जिसपर अब्दुल रसीद अबतक दखलकार है। खेसरा सं0 911, रकवा 6 डी0 भूमि का सिकमी खाता 332 मकानमय सहन सुद्दी मियाँ, पिता–राजवल्ली के नाम बना है और अब्दुल रसीद उनके ऐंक मात्र वारिश है, जिसपर उनका मकान मय सहन दखल–कब्जा कायम है। खेसरा सं0 909, रकवा 3 डी0 भूमि बासगीत पर्चा वाद सं0 06/1988–89 द्वारा अब्दुल रशीद को प्राप्त है। जिसपर भी अब्दुल रसीद दखलकार है।

इनका यह भी कहना है कि पुनरीक्षणकर्त्ता के नामान्तरण वाद सं0 2392/3852 / 2011–12 के विरूद्ध विपक्षीगणों द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में अपील वाद सं0 90/2013–14 दाखिल किया गया। जिसमें विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा उनके नामान्तरण आदेश को विपक्षी के केवाला पूर्व का रहने के कारण रद्द कर दिया गया है। जबकि सिकमी खतियान में दखल कब्जा दर्ज रहने के बावजूद भी उसकी अनदेखी कर विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा विपक्षी के पक्ष में जो आदेश पारित किया गया है वह विधि सम्मत एवं न्यायपूर्ण नहीं है। जिसे रद्द कर पुनरीक्षणकर्त्ता के आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध करते है।

दूसरी ओर विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि यह सही है कि वाद भूमि के खतियानी रैयत बैजनाथ चौधरी थे, जिसके मृत्युपरांत उनके एक मात्र वारिश पुत्र पुष्पम चौधरी हुए। खतियानी रैयत के जीवन काल से ही विपक्षीगणों द्वारा वादग्रस्त भूमि पर रेहाईसी घर बनाकर दखलकार होते चले आ रहें है। विपक्षी सं0 02 हारूण मियाँ एवं फारूख मियाँ, पिता–रसुल मियाँ को खेसरा सं0 912 में रकवा क्रमशः 3 डी0, 3 डी0, कुल 6 डी0 भूमि बासगीत पर्चा द्वारा प्राप्त है और शेष 10 डी0 भूमि इनके द्वारा खतियानी रैयत के पुत्र पुष्पम चौधरी से बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0

7756, दिनांक 15.9.2006 द्वारा क्रय कर प्राप्त है। जिसका दाखिल–खारिज इनलोगों के नाम हो चुका है। जिसपर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु विपक्षी सं0 01 को क्रय केवाला सं0 7189, दिनांक 05.08.2011 द्वारा वाद खाता के खेसरा सं0 908 एवं 909 के कुल रकवा 8 डी0 भूमि भूधारी के एक मात्र पुत्र पुष्पम चौधरी से प्राप्त है। इस प्रकार विपक्षीगणों जो एक ही परिवार के सदस्य है, को कुल 18 डी0 भूमि प्राप्त है और उसपर वे घर–द्वारा बनाकर जमीन्दार के समय से निवास करते हुए दखलकार है। यही 18 डी0 भूमि निम्न न्यायालय में वादग्रस्त भूमि थी। जिसपर विपक्षीगणों के पक्ष में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा आदेश पारित किया गया है। क्योंकि पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से गलत प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी नामान्तरण वाद सं0 2392/3852 / 2011–12 द्वारा अपने पक्ष में करवा लिया गया। जिसे विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा नामान्तरण अपील वाद सं0 178/2013–14 / 90/2013–14 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया का पारित आदेश दिनांक 03.11.2014 विधि सम्मत है, जिसे बहाल रखते हुए पुनरीक्षणकर्त्ता के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन एवं प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उत्तरवादी गण का केवाला पुनरीक्षणकर्त्ता के केवाला के पूर्व का है तथा खतियानी रैयत के वारिशान पुष्पम चौधरी द्वारा इन्हें खरीदगी प्राप्त है।

अतएव भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा नामान्तरण अपील वाद सं0 90/2013–14 में पारित आदेश विधि सम्मत है, जिसमें छेड़छाड़ की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। जिसे बहाल रखते हुए पुनरीक्षणकर्त्ता के पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०–
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ह०–
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ज्ञापांक 170 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 13 / 11 /2017

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को नामान्तरण अपील वाद सं0 90/2013–14 (मो0 मोहफिल ई0 बनाम तमीजउद्दीन ई0) मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

13.11.17
अपर समाहर्त्ता
अररिया